

इलैक्टोरल बॉन्ड का गोरखधंधा

योगेन्द्र यादव

आपने 'ब्लैक मनी' को 'व्हाइट' करने के धंधे के बारे में सुना होगा। लेकिन कभी 'व्हाइट मनी' को पहले 'ब्लैक' और फिर 'व्हाइट' करने के गोरखधंधे के बारे में सुना? इसका नाम है 'इलैक्टोरल बॉन्ड' यानी कि कंपनियों के एक नंबर के पैसे को 2 नंबर के गुप्त रास्ते से...

आपने 'ब्लैक मनी' को 'व्हाइट' करने के धंधे के बारे में सुना होगा। लेकिन कभी 'व्हाइट मनी' को पहले 'ब्लैक' और फिर 'व्हाइट' करने के गोरखधंधे के बारे में सुना? इसका नाम है 'इलैक्टोरल बॉन्ड' यानी कि कंपनियों के एक नंबर के पैसे को 2 नंबर के गुप्त रास्ते से पार्टियों के एक नंबर के खाते में जमा करने की योजना। यह गोरखधंधा 2018 में शुरू हुआ था। 5 साल तक बेरोक-टोक चलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करने का तक मिला है। पिछले हफ्ते ही यह सुनवाई पूरी हुई है। अब फैसले का इंतजार है।

राजनीति में काले धन का इलाज करने के लिए कई कानूनी बंदिशें बनाई गई थीं, जो अक्सर कागज पर ही रहीं लेकिन इन्हें मजबूत करने की बजाय पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने बची-खुची कानूनी बंदिशें भी समाप्त कर दीं। एक बंदिश यह थी कि कोई भी कम्पनी अपने घोषित मुनाफे के 7.5 प्रतिशत से ज्यादा राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती। मोदी सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया। इससे सिर्फ काले धन को राजनीति में लगाने की नीति से फर्जी कंपनियां खोलने का रास्ता साफ हो गया।

दूसरी महत्वपूर्ण बंदिश यह थी कि कोई



भी विदेशी कम्पनी हमारे देश की किसी राजनीतिक पार्टी या गतिविधि में एक पैसा भी नहीं लगा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस प्रावधान का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। कोर्ट के फैसले को लागू करने की बजाय राष्ट्रवाद का नाम लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस कानून को बैक डेट से बदल दिया। अब कोई भी विदेशी मलकीयत वाली बहुराजीय कम्पनी किसी भी पार्टी को कितना भी चंदा दे सकती है, बस उसे यह काम अपनी भारतीय एफिलिएट के खाते से करना होगा।

इलैक्टोरल बॉन्ड की योजना इसी कड़ी का तीसरा हिस्सा है। अब तक कानून में बंदिश थी कि किसी भी कम्पनी को किसी भी पार्टी को दिए गए चंदे को अपनी बैलेंस शीट में घोषित करना पड़ता था। इसी तरह

पार्टियों को भी कंपनियों या और भी किसी स्रोत से मिले चंदे को चुनाव आयोग के सामने घोषित करना पड़ता था। लेकिन इलैक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से इन सब बंदिशों को एक झटके में खत्म कर दिया गया। अब कोई भी कम्पनी चाहे जितनी मर्जी रकम के इलैक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक से खरीद सकती है।

ये बॉन्ड एक नोट की तरह हैं, कंपनी जिस पार्टी को चाहे उसे दे सकती है। कम्पनी को यह नहीं बताना पड़ेगा कि उसने किस पार्टी को पैसा दिया। लेकिन उसे पहले की तरह इस पूरे चंदे पर इनकम टैक्स की पूरी छूट मिलेगी। उधर पार्टी को यह बताना नहीं पड़ेगा कि उसे किस कंपनी से पैसा मिला। ये दोनों सूचनाएं सिर्फ बैंक के पास होंगी और वह इसे गुप्त रखेगा। इस अजीब योजना को पेश करते समय सरकार ने तर्क यह दिया था कि इससे काले धन को

रोकने में मदद मिलेगी। यह कहा गया था कि अनेक कंपनियां पार्टियों को पैसा देना तो चाहती हैं लेकिन अपना नाम सार्वजनिक होने से डरती हैं। उन्हें डर यह होता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी को पता लग गया तो उनके खिलाफ प्रताड़ना की कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए कंपनियां 2 नंबर में पैसा देने को मजबूर होती हैं। कहा गया कि इलैक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गुप्तदान की कानूनी व्यवस्था बनाने से यह समस्या सुलझ जाएगी।

इस विचार योजना का पहले दिन से विरोध हुआ था। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टिप्पणी मांगी गई तो उसने बताया कि इस योजना से मनी लार्डिंग और काले धन को रोकने वाले बाकी कई कानून बेकार हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने लिखकर इस योजना पर एतराज जताया। यहाँ तक कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की। लेकिन मोदी सरकार को 2019 के चुनाव से पहले इस इलैक्टोरल बॉन्ड को लागू करने की इन्होंनी हड्डबड़ी थी कि उसने कानून का मसौदा पार्टियों को दिखाए बिना इसे संसद में पास करवा लिया क्योंकि उन दिनों भाजपा को राज्यसभा में बहुमत नहीं था इसलिए इसे 2018 के बजट के साथ नथी कर पास करवा लिया ताकि वित्तीय विधेयक होने के नाते इसे राज्यसभा के बहुमत की जरूरत न पड़े।

सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में प्रशांत भूषण और कपिल सिल्ला सरीखे वकीलों ने साबित किया कि यह काले धन को रोकने नहीं बल्कि काले धन को पोषित करने की योजना है। सरकार जब चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गुपचुप यह सूचना

हासिल कर सकती है। एन्फोर्समैंट डायरेक्टोरेट और अन्य जांच एजेंसियों को सत्ताधारियों के इशारे पर यह सूचना हासिल करने का कानूनी अधिकार भी है इसलिए गुप्तदान के जरिए राजनीतिक प्रताड़ना को रोकने का तर्क हास्याप्दद है। हाँ, अगर किसी के लिए यह चंदा सचमुच गुप्त रहेगा तो वह है साधारण जनता और मतदाता। यह योजना हमारी चुनावी व्यवस्था की बची-खुची पारदर्शिता को भी खत्म कर देगी। यह नागरिक और मतदाता के बुनियादी सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

सच तो यह है कि पहले 2 कानूनी बंदिशें हटाने के बाद इलैक्टोरल बॉन्ड की स्कीम हमारे लोकतंत्र को देशी और विदेशी कंपनियों के हाथ में गिरवा रखने की योजना है। पहले 5 साल में इस योजना के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं। इनमें से अधेर से अधिक यानी 8000 करोड़ के करीब भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं।

बाकी अधिकांश पैसा राज्य स्तर पर सत्ताधारी पार्टियों को गया है। मतलब यह साबित हो चुका है कि यह योजना देशी-विदेशी कंपनियों द्वारा सत्ताधारी पार्टियों को जनता की आंख पर पर्दा डालकर मोटी रकम पकड़ाने की योजना है जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार अब कानून सम्पत हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बैंच इस गोरखधंधे को गैर-कानूनी घोषित कर राजनीति में धन बत के असर को रोकने और पारदर्शिता को बनाए रखने का साहसी फैसला सुनाएगी या फिर इसमें कुछ छोटे-मोटे पैंबंद लगाने की हिदायत देकर इतिहास कर देगी?

'बेरोज़गारी कम हो गई- बेरोज़गारी कम हो गई' की कड़वी हक्कीकत

क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा

जल्दी ही सरकारी-दरबारी भौंपू बजने शुरू होने वाले हैं; 'बेरोज़गारी कम हो गई- बेरोज़गारी कम हो गई'।

असलियत क्या है? 140.8 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में काम करने योग्य लोग मतलब जिनकी उम्र 14 से 64 साल के बीच है 93.33 करोड़ हैं। 'श्रम भागीदारी दर' मतलब काम करने योग्य लोगों में काम पर लगे लोगों की दर 2017-18 में अभी तक के इतिहास में सबसे कम 36.9 प्रतिशत थी जो 2022-23 में बढ़कर 42.2 फीसदी हो गई। इस प्रतिशत से देश में बेरोज़गारों की कुल तादाद की गणना की जा सकती है। 2017-18 में देश में कुल 56.9 करोड़ लोग बेरोज़गार थे, जिनकी तादाद 2022-23 में घटकर 53.9 करोड़ हो गई।

'श्रम भागीदारी दर' में हुई, इस 5.3 प्रतिशत की भारी वृद्धि की वजह क्या है? उत्तर जानते ही समझ आ जाएगा, कि देश में कंगाली का आलम कितना भयावह है। इस वृद्धि की वजह है महिला श्रमिकों का 'श्रम भागीदारी दर' में अभूतपूर्व उछल। ग्रामीण क्षेत्र में 'महिला भागीदारी दर' इसी 5 साल की अवधि मतलब 2017-18 से 2022-23 के बीच 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 30.5 प्रतिशत हो गई!! इसका मतलब,



58 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गई। हमारे देश में घरेलू काम करने वाले श्रमिकों को वेतनभोगी मजदूरों में नहीं गिना जाता बल्कि उन्हें स्व-रोज़गार कहा जाता है। यह वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरों की तरह घरेलू काम करने वाली महिलाओं सहायक श्रमिकों की कुल तादाद में ही हुई है। पहले ये ट्रेंड मौजूद नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कामगार बहुत कम होते थे। इस सम्बन्ध में एक और आंकड़ा गैर करने लायक है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्व-रोज़गार में ये वृद्धि अभूतपूर्व है लेकिन उनकी कुल मासिक आय इस 5 साल की अवधि में 3921 रुपये मासिक से 5056 रुपये मासिक ही हुई है जो कि मंहगाई दर से भी कम है। रोज़गारों की तादाद बढ़ी है आमदनी नहीं बढ़ी!! ग्रामीण रोज़गार योजना मनरेगा में भी महिलाओं की मजदूरी की दर 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 57.5 प्रतिशत हो गई है। यह आंकड़ा भी देश में विकासलाल होती जा रही कंगाली को ही दर्शाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावों वाला साल है। चमकीली पत्ती में लिपटी खुबरों को पत्ती हटाकर उसकी तह तक जाकर पढ़े जाने तथा जो ऐसा नहीं करते चुनावी ताम-झाम देखकर मन्त्र मुग्ध हो जाते हैं उन्हें अच्छी तरह समझाने की ज़रूरत है।